न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–70/2021

जी.सी.एम.एस नं.–2021/143

ईमरतीदेवी पुत्री मोहनलाल पत्नी देवाराम जाति मेघवाल निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————प्रार्थीया

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र महताराम जाति मेघवाल निवासी चक 8 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. उप पंजीयक अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित–

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
2. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 20/5/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वाके चक 7 के (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुं.नं.–24 पं.नं.–137/58 का कि.नं.–13/2 का 0.127, 14 ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21/2 का 0.228, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.227, 25/2 का 0.227 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड व मुरब्बा नं.–45 पं.नं.–157/20 का कि.नं.–10 /2 का 0.228. 11/2 का 0.228, 12, 19 प्रत्येक का 0.253, 20/2 का 0.227, 21/2 का 0.228, 22 का 0.253 हैक्टर कुल 1.770 हैक्टर कमाण्ड [illegible] 1/2 का 0.228, 2.9 प्रत्येक का 0.253, 10/2 का 0.215 है[illegible] हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 5.655 हैक्टर क[illegible] / अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीया का पिता है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है प्रार्थना पत्र मे दर्ज कृषि भूमि परिवार के मुखियाकर्ता की हैसियत से अप्रार्थी सं–01 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है। प्रार्थीया जो कि अपार्थी सं.–1 का पुत्री है तथा अप्रार्थी सं.–1 के कोई पुत्र औलाद नही है मात्र तीन पुत्रीयॉ जिसमें प्रार्थीया ईमरतीदेवी एवं रीमाबाई व मूलाबाई है तथा प्रार्थीया की माता सुगनाबाई है विवादित भूमि जो कि संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है जो शुरू से ही प्रार्थीया के अप्रार्थी सं.–1 के साथ संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 व परिवार के अन्य सवस्य अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है। चूंकि अप्रार्थी सं.–1 के कोई पुत्र औलाद नंही होने के कारण अप्रार्थी सं.–1 अपने नाम की उक्त पारिवारिक कृषि भूमि अपनी तीनों पुत्रीयों को ही देना चाहता है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अरसा करीब 5 वर्ष पूर्व परिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से विवादित कृषि भूमि को चार हिस्सो में विभक्त करके हुऐ अपने व अपनी तीनों पुत्रीयों में मौखिक पारिवारिक बटंवारा में बांट दी थी तथा उक्त बटंवारा में से 1/4 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने अपने स्वयं व अपनी पत्नि के लिऐ अपने पास रख कर शेष भूमि अपनी तीनों पुत्रीयों में 1/4 हिस्सा के रूप में बांट थी जिसमें प्रार्थीया को 1/4 हिस्सा भूमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीया को बांटकर दे दी जो तब से ही प्रार्थीया के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य मे चली आ रही है तथा विवादित भूमि में से 1/4 हिस्सा के सम्बधं में प्रार्थीया में समस्त प्रकार के हक अधिकार व अहिपत्य निहित हो चुका है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं.–1 को कई बार कहा कि वह प्रार्थीया के नाम से विवादित कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा यानि प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार भूमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीया को बांटकर दी गई है। इसलिए उक्त परिवारिक समझौता की पालना में उनके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें ताकि अपने–अपने हिस्सा में काश्त आदि को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव तकाजा ना रहे और अपने अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं सिंचित कर सके तो अप्रार्थी सं.–1 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करता रहा। अप्रार्थी सं.–1 जो कि वृद्धावस्था की और अग्रसर है तथा जो परिवार के अन्य लोगों के अत्याधिक प्रभाव व दबाब में है तथा जो अप्रार्थी सं.–1 की वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर व पाया को उसके हक अधिक सेति करने के भावनापूर्वक आश[illegible]ित कृषि भूमि को सूर्य पूर्व करवाने पर उतारू है [illegible] है कि परिवार के वे ही लोग अवअर्थी विवादित कृ[illegible] अपने नाम से करवाने पर उतारू है और उक्त कृषि भूमि को अ[illegible] हस्तान्तरित रहन बैचान करवाने के प्रयासरत है जिसके लिए उन्होने कुछ दलाल किस्म के व्यक्तियों से बातचीत भी कर रखी है और जमीन अन्य व्यक्तियों को दिखाते फिर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

है जिसका पता चलने पर प्रार्थीया मे अर्सा 3 दिन पूर्व अप्रार्थी सं–01 को उक्त परिवारिक मौखिक समझौता की पालना में प्रार्थीया के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थी से ऐसा करने से साफ इंकार हो गया और अपार्थी सं–01 परिवार के अन्य लोगो के उकसावे में आकर कहने लगा की वह विवादित कृषि भूमि में से प्रार्थीया को कोई हिस्सा नहीं देगा और ना ही वह किसी परिवारिक समझौता को मानता है बल्कि वह प्रार्थीया को उसके हिस्सा के किलाजात की भूमि से बेदखल करवा देगा और अपनी शेष रही भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। अप्रार्थी सं.–1 विवादित भूमि में प्रार्थीया को उसके हक अधिकारों से वचित करने के प्रयासरत है जिस सम्बंध में अप्रार्थी सं.–1 ने अर्सा 3 दिन पूर्व यह स्पष्ट धमकी भी दी है कि वह प्रार्थीया को कोई हिस्सा नही देगा और ना ही किसी परिवारिक समझौता को मानता है बल्कि वह प्रार्थीया को विवादित भूमि से बेदखल करवा देगा और समस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। जबकि उक्त विवादित कृषि भूमि ही अब एक मात्र संयुक्त परिवार की आजिवीका निर्वाह का साधन बची है अगर अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीया को उनके हिस्सा अधिकार, हक से महरूम करने के आशय से शेष भूमि को भी येन केन प्रकरेण बैचान कर कर देता है और विवादित भूमि का रहन, बेचान अन्यत्र करने में अप्रार्थी सं.–1 कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की एवज मे नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीया अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 विवादित कृषि भूमि विवादित कृषि भूमि वाके 7 के (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुं नं.–24 पं.नं.–137/58 का कि.नं.–13/2 का 0.127, 14 ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21/2 का 0.228, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.227, 25/2 का 0.227 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड व मुरब्बा नं.–45 पत्थर नं. –157/20 का किला नं.–10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12, 19 प्रत्येक का 0.253, 20/2 का 0.227, 21/2 का 0.228, 22 का 0.25[illegible] कुल 1.770 हैक्टर कमाण्ड व मुरब्बा नं.–51 पत्थर नं.[illegible]2 का 0.228, 2, 9 प्रत्येक का 0.253, 10/2 [illegible] हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 5.655 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड ख[illegible]री कृषि भूमि में बिना प्रार्थीया के अधिकारों की घोषणा करवाये किसी तरीके से अन्यंत्र

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्व रहे तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया मुझे अप्रार्थी के साथ संयुक्त अविभाजित परिवार का गठन नहीं करती है और ना ही विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति है। प्रार्थीया का विवाह अरसा पूर्व ही मुझ अप्रार्थी द्वारा दान दहेज देकर किया जा चुका है व प्रार्थीया अपने पति व बच्चों के साथ निवास करती है। विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त परिवार के मुखिया की हैसियत से मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज नहीं है जबकि उक्त कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी को आवंटित हुई थी। जिसकी नियमानुसार खातेदारी भी मुझ अप्रार्थी के नाम से ही जारी हुई। चूंकि उक्त कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी को आवंटित की गई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति ना होकर मुझ अप्रार्थी का स्वः अर्जित संपत्ति है। प्रार्थीया का विवादित कृषि भूमि की आमदन से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। प्रार्थीया के बाल्यकाल में उसका पालन पोषण में प्रतिवादी ने बतौर पिता किया व शादी के रोज को यह अपने पति के साथ निवास कर रही है। में अप्रार्थी ने विवादित कृषि भूमि का कभी कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं किया। समस्त विवादित कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी की स्वः अर्जित सम्पत्ति है जिस पर में काबिज काश्त हूं। प्रार्थीया ने पारिवारिक बंटवारा व बंटवारा में 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थीया को देने का तथ्य झूठा व मनगढंत दर्ज करवाया है। विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। चूंकि मुझ अप्रार्थी व मेरी बेटियों के मध्य कभी कोई पारिवारिक मौखिक बंटवारा नही हुआ इसलिए पारिवारिक समझौता की पालना में प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि दर्ज करने का तथ्य झूठा व मनगढंत है। विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है इसलिए उसे बेदखल करने का तथ्य बेनामी है। प्रार्थीया को बनाये मुखास्मत प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की भी अध्ययन किया। प्रार्थीया के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीया का पिता है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्रीगंगानगर
सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि परिवार के मुखियाकर्ता की हैसियत से अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति है जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है। प्राथीया जो कि अप्रार्थी सं.–1 की पुत्री है तथा अप्रार्थी सं.–1 के कोई पुत्र औलाद नही है मात्र तीन पुत्रीया जिसमें प्रार्थीया ईमरतीदेवी एवं सीमाबाई व मूलाबाई है तथा प्रार्थीया की माता सुगनाबाई है विवादित भूमि जो कि संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है अप्रार्थी सं.–1 ने कथन किया कि प्रार्थीया मुझे अप्रार्थी के साथ संयुक्त अविभाजित परिवार का गठन नहीं करती है और ना ही विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति है। प्रार्थीया का विवाह अरसा पूर्व ही मुझ अप्रार्थी द्वारा दान दहेज देकर किया जा चुका है व प्रार्थीया अपने पति व बच्चों के साथ निवास करती है। विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त परिवार के मुखिया की हैसियत से मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज नहीं है जबकि उक्त कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी को आवंटित हुई थी। जिसकी नियमानुसार खातेदारी भी अप्रार्थी के नाम से ही जारी हुई। चूंकि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी को आवंटित की गई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति ना होकर अप्रार्थी की स्वः अर्जित संपत्ति है। जबकि विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी सं.–1 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि है। कानून में घरेलू मौखिक बंटवारेनामे की कोई मान्यता नही है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में बनना नही पाया जाता है अतः उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्व तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के विरूद्व तय किया गया है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जबकि कानून व अप्रार्थीगण सं.–1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथ्य भी प्रार्थीया के विरूद्व तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :–चूकि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थीगण के विरूद्व तय किये जा चुके है तथा प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही है यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत अपने खातेदारी कृषि को उपयोग व उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थीया के मुकाबले अप्रार्थी को अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.21 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested